

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ० वि० वि०, कानपुर-2.

पत्रांक : सीएसयूडब्लू- 220 / 2022-23

दिनांक मई 30 , 2022

कुटेशन / विज्ञप्ति

इस विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2022-23, 01 जुलाई से प्रारम्भ होना है। जिसमें प्रवेश पाने वाले एवं अध्ययनरत लगभग 2,000 (दो हजार) छात्र/छात्राओं के एक वर्षीय दुर्घटना बीमा रु० 5,00,000/- एवं मेडीक्लेम रु० 50,000/- को लागू किया जाना है, जिसके लिये आप अपनी प्रीमियम किस्त एवं आपके स्तर से छात्र/छात्राओं को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ वित्तीय एवं तकनीकी कोटेशन सील बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक 12.06.2022 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार होगी

1. बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म छात्र/छात्राओं से दो प्रतियों में भराये जायेंगे, जिसकी एक प्रति सम्बन्धित फर्म को तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिकार्ड हेतु रखी जायेगी। कम्पनी द्वारा कम्प्यूटराइज्ड विवरण पंजीकरण के दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकरण के दूसरे दिन सम्बन्धित फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. पंजीकरण के दिन सांयकाल 3:30 बजे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से तैयार की गयी सूची के अनुसार छात्रों द्वारा जमा की गयी धनराशि की चेक व फार्म की एक प्रति बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दी जायेगी। तत्पश्चात छात्रों का छात्र दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम लागू हो जायेगा तथा यदि तत्काल ही किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या छात्र/छात्रा बीमार पड़ता है, तो छात्र को कम्पनी द्वारा लाभ देय होगा।
4. छात्र/छात्राओं को मिलने वाली धनराशि, दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम का संचालन कानपुर एवं लखीमपुर प्रांगण के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण कानपुर तथा बाबा भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा प्रांगण का संचालन सह-अधिष्ठाता छात्र कल्याण, द्वारा सम्पादित किया जायेगा। यह योजना प्रत्येक संकाय कृषि, वानिकी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हार्टिकल्चर, गृह विज्ञान, कानपुर एवं कृषि लखीमपुर/अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों हेतु समान रूप से लागू होगी तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा का वर्तमान शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने तक अबाध्य रूप से लागू रहेगी।
5. बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्रा को मेडीक्लेम कार्ड पंजीकरण के उपरान्त अधिकतम 15 दिनों के अन्दर ही प्रदान करना अनिवार्य होगा।
6. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह अधोहस्ताक्षरी कार्यालय आ कर छात्र/छात्राओं की मेडीक्लेम सम्बन्धी कार्य की जानकारी लेना अनिवार्य होगा। साथ ही छात्र/छात्राओं के मेडीक्लेम का स्समय भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर०पी०सिंह)

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव।
2. प्रभारी, एकेएमयू को इस आशय के साथ कि कृपया उपरोक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(आर०पी०सिंह)

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण